भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3198

दिनांक 22 मार्च, 2022/01 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

विचाराधीन कैदी

†3198. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडियन लॉ रिव्यू में प्रकाशित शोध के अनुसार, केवल 7.91% विचाराधीन कैदियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं का लाभ उठाया गया था जिसके लिए वो पात्र थे और यदि हां, तो कारावास में कैद उक्त विचारधीन कैदियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कैदियों द्वारा विधिक सहायता सेवाओं के कम उपयोग के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कैदियों के लिए उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जागरूगता बढ़ाने हेतु कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है तथा इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। वर्ष 2020 के दौरान देश की जेलों में विचारणाधीन (अंडरट्रायल) कैदियों और विधिक सहायता उपलब्ध कराए गए कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3198 दिनांक 22 मार्च, 2022</u>

(ख) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची।। की प्रविष्टि 4 के तहत 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' राज्य के विषय हैं। कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, जो विचारणाधीन कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए सक्षम हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं। जेलों में लगभग 1091 विधिक सेवा क्लीनिक हैं, जिन्हें पैनल में शामिल विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-विधिक स्वयंसेवकों द्वारा संचालित किया जाता है। जेलों में ऐसे क्लीनिक यह सुनिश्चित करने के लिए खोले गए हैं कि कोई भी कैदी इस सहायता से वंचित न रहे और कैदियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की जाए। न्याय प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए, 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), अन्य विधिक सेवा संस्थाओं के साथ जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां करता है, ताकि लोगों को उनके अधिकारों तथा विधि सेवा संस्थाओं की भूमिका, गतिविधियों और कार्यकरण के बारे में जागरूक बनाया जा सके। इसमें सेमिनार एवं व्याख्यान आयोजित करना, पैम्फेलेटों का वितरण, जिंगलों का प्रसारण आदि शामिल है।

गृह मंत्रालय ने विचारणाधीन कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कई एडवाइजरी भी जारी की हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए ''आदर्श कारागार मैनुअल 2016'' में 'विधिक सहायता' के संबंध में एक अध्याय निहित है, जिसमें उन सुविधाओं के ब्यौरे प्रदान किए गए हैं, जो विचारणाधीन (अंडरट्रायल) कैदियों को प्रदान की जानी होती हैं, जैसे कि विधिक सुरक्षा, वकील के साथ साक्षात्कार, सरकारी लागत पर विधिक सहायता हेतु न्यायालयों को आवेदन देना आदि।

******

लोक सभा अता. प्र. सं. 3198 दिनांक 22.03.2022

अनुलग्नक

वर्ष 2020 के दौरान देश की जेलों में विचारणाधीन (अंडरट्रायल) कैदियों और विधिक सहायता उपलब्ध कराए गए कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विचारणाधीन (अंडरट्रायल) कैदियों की संख्या	विधिक सहायता उपलब्ध कराए गए कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5001	916
2	अरुणाचल प्रदेश	127	21
3	असम	6495	3222
4	बिहार	44187	2338
5	छत्तीसगढ़	11963	6350
6	गोवा	419	41
7	गुजरात	10195	5729
8	हरियाणा	14951	1154
9	हिमाचल प्रदेश	1574	570
10	झारखंड	17103	4745
11	कर्नाटक	10577	3310
12	केरल	3569	6087
13	मध्य प्रदेश	31712	4890
14	महाराष्ट्र	26171	3911
15	मणिपुर	506	0
16	मेघालय	821	481
17	मिजोरम	609	695
18	नागालैंड	261	74
19	ओडिशा	15619	626
20	पंजाब	15643	2735
21	राजस्थान	16930	1191
22	सिक्किम	328	282
23	तमिलनाडु	8709	5337
24	तेलंगाना	3946	706
25	त्रिपुरा	472	80
26	उत्तर प्रदेश	80557	8311
27	उत्तराखंड	3906	3389
28	पश्चिम बंगाल	20144	5529
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	194	91
30	चंडीगढ़	619	145
31	दादरा और नगर तथा दमण और दीव	138	0
32	दिल्ली	14506	72728
33	जम्मू और कश्मीर	3717	118
34	लद्दाख	21	2
35	लक्षद्वीप	2	0
36	पुदुचेरी	156	18
	कुल	**371848**	**145822**

*****